भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4693

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

पर्वतमाला योजना का कार्यान्वयन

†4693. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्वतमाला योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुकी रोपवे परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) योजना के आरंभ के बाद से अब तक इन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार और वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनाए जा रहे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का ब्यौरा क्या है और निजी क्षेत्र के हितधारकों की क्या भूमिका है;

(घ) उक्त योजना से विशेषकर पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क की भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने के संबंध में अपेक्षित आर्थिक, पर्यावरणीय और पर्यटन संबंधी लाभ क्या हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से पर्वतमाला योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में, विशेषकर पर्यटन केंद्रों और जनजातीय क्षेत्रों में, रोपवे परियोजनाओं का चिन्हीकरण और विकास करने का विचार है और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) रोपवे विकास कार्यक्रम - " पर्वतमाला " की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8,151 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाएँ स्वीकृत/निर्माणाधीन हैं। स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	02 परियोजनाएं
2	हिमाचल प्रदेश	01 परियोजनाएं
3	मध्य प्रदेश	02 परियोजनाएं
4	हरियाणा	01 परियोजनाएं
5	जम्मू और कश्मीर	01 परियोजनाएं
6	उत्तराखंड	02 परियोजनाएं
7	महाराष्ट्र	01 परियोजनाएं

(ग) पर्वतमाला के अंतर्गत रोपवे परियोजनाएं मुख्य रूप से हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) और डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मोड पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

परियोजना का रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। एचएएम परियोजनाओं के लिए, 100% राजस्व प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना है। दूसरी ओर, डीबीएफओटी परियोजनाओं के लिए, रियायतग्राही द्वारा राजस्व एकत्र किया जाना है, जिसमें रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, यदि वास्तविक सवारियाँ वार्षिक लक्ष्य के 80% से कम हो जाती हैं, तो प्राधिकरण द्वारा राजस्व सहायता का प्रावधान है, और यदि वास्तविक सवारियाँ वार्षिक लक्ष्य के 120% से अधिक हो जाती हैं, तो प्राधिकरण के साथ राजस्व साझा करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य रोपवे अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकतम किराया अधिसूचित किया जाता है।

(घ) रोपवे अवसंरचना के प्रमुख लाभों में क्षेत्रीय विकास, अंतिम छोर तक संपर्कता परिवहन में आसानी और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।

(ड.) और (च) रोपवे सहित परिवहन अवसंरचना का विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार को समय-समय पर आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तकनीकी-वित्तीय परिणामों, मानदंडों की पूर्ति, संपर्कता की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

*****